न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट केसरोली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

मुकदमा नं0 3/21/18 निर्णय दिनांक : 11.06.2018

उनवान

1. तीजा पुत्री स्व0 गिरवर पत्नी खैराती लाल जाति धोबी निवासी डी 389 सूर्य नगर, अलवर तह0 व जिला अलवर।
2. चिरंजी पुत्र धन्नराम नवासा स्व0 गिरवर
3. सम्पती पुत्री धन्नराम नवासी स्व0 गिरवर जातियान धोबी निवासियान ग्राम पाटखोहरी तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नुंह मेवात हरियाणा।

............................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर साहब अलवर।
2. तहसीलदार कम लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................अप्रार्थीगण

3. सिंगारी पुत्री स्व0 गिरवर पत्नी भगवाना
4. पूरण पुत्र धन्नराम नवासा स्व0 गिरवर
5. किशनलाल पुत्र धन्नराम नवासा स्व0 गिरवर जातियान धोबी निवासियान ग्राम पाटखोहरी तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नुंह मेवात हरियाणा।

....................तरतीबी अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 500 रकबा 0.69 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 501 रकबा 0.30 हैक्ट0 कायम हुए जो वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता व नाना गिरवर की आराजी थी, प्रार्थीगण के पिता व नाना का स्वर्गवास हो जाने पर विवादित आराजी प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम विरासत का इन्तकाल सं0 427 प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दिनांक 07.08.2007 को नामान्तकरण दर्ज हुआ। उपरोक्त विवादित आराजी विरासत इन्तकाल सेटलमेन्ट अवधि जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2057 में दर्ज हुआ, विरासत इन्तकाल दर्ज अवधि में जमाबन्दी में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम अंकन हुआ लेकिन सेटलमेन्ट सम्वत 2058 के राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से जमाबन्दी बनाते समय इन्तकाल सं0 427 का अमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने से सहबन से रह गया। जबकि राजस्व कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व तरतीबी

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

अप्रार्थीगण का नाम दर्ज करना चाहिए था परन्तु प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसलिए राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर साबिक खसरा नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 500 रकबा 0.69 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 501 रकबा 0.30 हैक्ट0 कायम हुए जो वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर में इन्तकाल सं0 427 का अमल किया जाकर हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम का अंकन कर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2051 वाके ग्राम केसरोली के खाता सं0 113 पर खसरा नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा " राधेश्याम पुत्र भौरा ब्राहम्ण राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर एडीबी मु.वि.कृ. हिस्सा 1/2 गिरवर पुत्र नत्थू धोबी हिस्सा 1/2 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खातेदार गिरवर की मृत्यु होने पर उसके 1/2 हिस्से का नामान्तकरण सं0 427 दिनांक 13.10.97 को सिंगारी तीजा पुत्रीयान गिरवर 2/3 हिस्सा, पूरण, बिशन, चिरंजी नवासे गिरवर एवं सम्पती नवासी गिरवर 1/3 हिस्सा दर 1/2 हिस्से के नाम पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। जिस पर तहसील आदेश क्रमांक 718 / आरए/ दिनांक 25.07.1997 द्वारा एसीएम अलवर के स्टे का अंकन है। जिसे दिनांक 07.08.2001 को ग्राम पंचायत केसरोली द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 13.07.2001 प्रार्थना पत्र तीजा वगैराह संलग्न निर्णय प्रतिलिपि अनुवान राधेश्याम बनाम तीजा दिनांक 10.02.2001 में अदालत एसीएम अलवर मिसल नं0 1/603 में स्टे नही पाये जाने पर इन्तकाल विरासत स्वीकार किया गया। व इन्तकाल सं0 427 का नोट जमाबन्दी सम्वत 2051 में सुर्ख स्याही से लगाया हुआ है। उक्त इन्तकाल का अमल सम्वत 2058 की जमाबन्दी में पटवारी हल्का द्वारा किया जाना चाहिए था जो नही किया जाने के कारण आज दिनांक तक की जमाबन्दी में खातेदार गिरवर पुत्र नत्थू धोबी हिस्सा 1/2 के नाम ही दर्ज चला आ रहा है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

... स्थित है। जो
... पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित की जावेगी।

सम्वत 2058 वाके ग्राम केसरोली गत खसरा नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 500 रकबा 0.69, 501 रकबा 0.30 हैक्ट0 बने है। अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 500 रकबा 0.69, 501 रकबा 0.30 हैक्ट0 पर मुताबिक नामान्तकरण सं0 427 निर्णय दिनांक 07.08.2001 के गिरवर पुत्र नत्थू धोबी के 1/2 हिस्से के स्थान पर सिंगारी, तीजा पुत्रीयान गिरवर 2/3 हिस्सा, पूरण, बिशन, चिरंजी नवासे गिरवर एवं सम्पती नवासी गिरवर हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 का अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत केसरोली में दिनांक 11.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। मुताबिक दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 500 रकबा 0.69, 501 रकबा 0.30 हैक्ट0 पर मुताबिक नामान्तकरण सं0 427 निर्णय दिनांक 07.08.2001 के गिरवर पुत्र नत्थू धोबी के 1/2 हिस्से के स्थान पर सिंगारी, तीजा पुत्रीयान गिरवर 2/3 हिस्सा, पूरण, बिशन, चिरंजी नवासे गिरवर एवं सम्पती नवासी गिरवर हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 का अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 274 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 500 रकबा 0.69 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 501 रकबा 0.30 हैक्ट0 कायम हुए जो वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर में इन्तकाल सं0 427 का अमल किया जाकर हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम का अंकन ताहाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत केसरोली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर)

नाम से सबोधेत की जावेगी।